न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 117/2020

GCMS No. : 2020/00188

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मुकेश पुत्र श्यामलाल जाति– सरगरा, निवासी– लाखोटिया का चौक, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. श्यामलाल पुत्र तेजाराम जाति– सरगरा, निवासी– लाखोटिया का चौक, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जैतारण, जिला– पाली राज0। 3. पटवारी, पटवार हल्का जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 30/06/2010

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक: 17/08/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 256–08 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलन संख्या 01 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती अविभाजित कृषि भूमि है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वंश वृक्षावली के अनुसार सायल गैरसायल श्यामलाल का पुत्र है तथा तेजाराम का पौत्र हैं। विवादित आराजी के 1/16 हिस्से के वक्त सेटलमेन्ट के खातेदार काबिज काश्तकार सायल के दादा तेजाराम पुत्र शिवलाल जी थे तथा सेटलमेन्ट से लेकर जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 तक सायल के दादा तेजाराम जी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहा तथा उनके देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या [illegible] दिनांक [illegible]2015 को विरासत के जरिये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे गैरसायल संख्या 1 का नाम इन्द्राज किया गया। इस प्रकार सायल के दादा तेजाराम जी का उक्त कृषि भूमि मे 1/16 हक हिस्सा था तथा उनके देहान्त के बाद सायल एवं गैरसायल संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि मे संयुक्त रूप से सामलाती 1/80 वां हिस्सा है और सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की तरफ से यह प्रार्थनापत्र उक्त 1/80 वां हिस्सा जो जरिये विरासत के गैरसायल संख्या 1 के नाम सायल के दादा तेजाराम के देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन इन्द्राज किया गया उसी के सम्बन्ध मे यह प्रार्थनापत्र सायल की और से पेश है तथा उक्त कृषि भूमि के सहहिस्सेदार व सहखातेदार के खिलाफ सायल द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे गैरसायल पक्षकार समायोजित नही किया गया है, न ही उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ चाही गयी है। उक्त कृषि भूमि के 1/80 वां हिस्सा जो वर्तमान मे गैरसायल संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है उसे आगे इस प्रार्थनापत्र मे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। जमाबन्दी संवत 2057 से 2072 तक लगातार एवं म्युटेशन संख्या 3771 की प्रमाणित प्रतियां इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। इस प्रकार विवादित आराजी के सम्बन्ध मे राजस्व रेकर्ड से यह स्पष्ट रूप से सावित है कि उक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमे सायल का भी माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत गैरसायल संख्या एक के साथ संयुक्त रूप से बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार जन्म से ही है और उक्त विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 स्वअर्जित सम्पति नही है। गैरसायल संख्या 1 श्यामलाल की पूर्व पत्नी दरियादेवी थी और जिनके विवाह तथा रहवास सहवास से सायल का जन्म हुआ परन्तु सायल की माता व गैरसायल संख्या 1 की पत्नी दरियादेवी का देहान्त सन् 1997 मे हो गया और कुछ समय पश्चात गैरसायल संख्या 1 श्यामलाल ने दुसरा विवाह समुदेवी के साथ किया और जिनके रहवास सहवास से एक लडका व दो लडकिया है। सायल के पिता गैरसायल संख्या 1 ने दुसरा विवाह समुदेवी के साथ करने के पश्चात दुसरी पत्नी समुदेवी बहकावट व सिखावट मे आकर गैरसायल संख्या 1 ने सायल का कोई ध्यान नही दिया एवं कोई सार संभाल नही की और न ही सायल को शिक्षा अर्जित करने दी तथा दुसरा विवाह करने के बाद से ही गैरसायल संख्या 1 सायल को उसके हक हिस्से की पैतृक पुश्तैनी भूमि से वंचित करने पर आमादा है। समुदेवी जो कि सायल की सौतेली मां है व शुरू से ही सायल के साथ गैरसायल संख्या 1 को बहकावट मे लेकर दोनो दुरव्यवहार करते आ रहे है। सायल का नाम राजस्व रेकर्ड मे उसके हक हिस्से की भूमि 5536 मे इन्द्राज नही होने तथा गैरसायल संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठा रहे है जिस कारण सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से अपने हक हिस्से [illegible] पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सामलाती अविभाजित विवादित आराजी [illegible] से सायल की और से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ [illegible] पेश है। गैरसायल संख्या 1 अपनी दुसरी पत्नी समुदेवी के बहकावट व सिखावट मे आकर सायल के दादा तेजाराम जी की उक्त विवादित आराजी को समुदेवी के लडके के नाम बक्सीस या अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा सायल को उसके पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि से वंचित करने के उदेश्य से गैरसायल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1 एक जिसका नाम राजस्व रेकर्ड मे है का नाजायज फायदा उठाते हुए खुर्द बुर्द रहन बेचान हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है तथा सायल को उसके हक हिस्से की पैतृक पुश्तैनी विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर उसकी सौतेली माता व उसकी संतान को काबिज करने पर आमादा है। यदि गैरसायल संख्या 1 अपने उक्त अवैध कृत्यो मे सफल हो जाता है तो सायल को असीम हानि होगी तथा सायल अपनी पैतृक पुश्तैनी हक अधिकार हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा तथा गैरसायल अपनी दुसरी पत्नी व उसकी संतान का सहयोग लेकर मौके पर से सायल को विवादित आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करेगे जिसका विरोध मौके पर सायल द्वारा किये जाने पर विवाद बढेगा व लडाई झगडा होने की पूर्ण संभावना है जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से गैरसायल संख्या एक के उक्त अवैध कृत्यां को रोकने हेतू यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र खिलाफ गैरसायलान् के सादर पेश है। हैंलयह है कि दिनांक 25/08/2020 को गैरसायल संख्या एक अपनी दुसरी पत्नी व उनकी संतान को लेकर विवादित आराजी के मौके पर आया और सायल को ऐलानिया धमकीया दी कि तू हमारा रिश्ते मे कुछ नही लगता है तथा विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में तेरा कोई नाम नही है केवल मात्र मेरा ही नाम इन्द्राज है। इसलिए मै विवादित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से को अपनी पत्नी समुदेवी व हम दोनो की संतान के नाम वसीयत या बक्सीस या अन्य हस्तान्तरण कर दूगां तथा किसी अजनबी को बेचान हस्तान्तरण कर दूगां तथा तेरी पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित कर दुगा तथा यह जमीन खाली कर दे नही करने पर जबरदस्ती तुझे बेदखल कर मेरी पत्नी समुदेवी व हम दोनो की संतान को काबिज कर दूगां, तब सायल ने गैरसायल व उसकी पत्नी को बहुत समझाया परन्तु वह अपनी जिद्द पर अड़े रहे। यदि गैरसायल संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने गलत नाम के इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण वसीयत बक्सीस इत्यादि कर देता है एवं सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देता है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ गैरसायलान् के सादर पेश है। प्रथम दृष्टिया मामला सायल के पक्ष मे है क्योकि विवादित आराजी सायल व गैरसायल संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू [illegible] की सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष मे है क्योकि विवादित आराजी गैरसायल संख्या एक की स्वअर्जित नही है तथा सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा मु 86 है यदि गैरसायल संख्या 1 सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देता है या विवादित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण वसीयत या बक्सीस कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

देता है तो अपूर्णिय क्षति सायल को होना सुनिश्चित है तथा सायल हमेशा हमेशा के लिये अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से वंचित हो जायेगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी। इसलिए गैरसायल संख्या 1 द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेशकर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा नम्बर 268 रकबा 256 बीघा 08 बिस्वा मे से 1/80 वां हिस्सा या इसके किसी भाग को प्रतिवादी संख्या 1 रहन बेचान बक्सीस वसीयत या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नही करे तथा वादी के हक हिस्से की भूमि से वादी को बेकाबिज नही करे एवं कृषि एवं कृषि मुतालिक तमाम कार्य सायल द्वारा किया जाता है तो उसमे अवरोध बाधा अडचन आदि नही करे खुर्द बुर्द नही करे, कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद सख्या एक मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार राजस्व मौजा जैतारण में पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 268 रकबा 256 बीघा 08 बिस्वा की भूमि आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है, लेकिन इस भूमि पर सायल का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार न तो कभी रहा है न ही वर्तमान में है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित वंशावली कतई असत्य झूठी बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल ने अपने आप अकेले को ही श्यामलाल जी का पुत्र व उत्तराधिकारी होना बताया है जबकि श्यामलाल के दो जायन्दा पुत्रीया ममता उम्र 20 वर्ष, काजोल उम्र 17 वर्ष एवं एक नाबालिग पुत्र कुशाल उम्र 13 वर्ष तथा पत्नी समु देवी विधिक उत्तराधिकारी है। जिसे सायल ने जानबूझकर के इस वंशावली में नही दर्शाया है एवं न ही उन्हे प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में प्रोपर व आवश्यक चामलाप्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव में भी सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य [illegible] अस्वीकार हैं 03 यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में सायल ने [illegible] की 1/16 वा हिस्सा होना बताया है। साथ ही न[illegible] 71 का भी हवाला दिया है। उक्त तथ्यो का सायल स्वयं साबित करे। लेकिन [illegible]हां पर सायल का यह कथन कि उक्त सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व सामलाती होने बाबत लगाये गये आरोप असत्य होने से अस्वीकार है। साथ ही सायल ने जवाब देहन्दा की दोनो

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

पुत्रीयो, पुत्र एवं पत्नि को प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया है न ही अपने हिस्से बाबत कोई खुलासा किया है। इसलिये भी सायल की ओर से अंकित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठा बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तमाम तथ्य गलत असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही सायल का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त नही होने से सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठा बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल मुकेश की उम्र जब तीन वर्ष की थी उस समय उसकी जन्मत माता दरिया देवी का देहान्त हो गया था। जिस पर सायल मुकेश कुमार का लालन पालन करने एवं घरेलू कार्य करने के लिये जवाब देहन्दा ने सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समू देवी से नाता/द्विविवाह किया था। तत्पश्चात समू देवी ने ही सायल मुकेश कुमार का लालन पालन किया। उसको पढ़ाई करवायी एवं मुकेश कुमार बड़ा होने पर उनकी शादी गौना मुकलावा इत्यादि करवाया जिसमें जवाब देहन्दा ने लाखो रुपये 24जपबसमेखर्च किये थे। तत्पश्चात सायल मुकेश कुमार बड़ा होकर खाने कमाने लगा तब वह जवाब देहन्दा यानि अपने पिता श्यामलाल से अलग हो गया। तथा पिछले लगभग 05 वर्षो से सायल मुकेश कुमार अपने पिता श्यामलाल व समू देवी की कोई देखभाल नही कर रहा है। न ही उनके खाने पीने ईलाज इत्यादि की कोई व्यवस्था कर रहा है। जवाब देहन्दा श्यामलाल के दो बड़ी पुत्रीया एवं एक नाबालिग पुत्र है। जिनकी सगाई शादी व अन्य सामाजिक खर्चे किये जाने शेष है। साथ ही जवाब देहन्दा स्वयं अक्सर बीमार रहता है। जिसकी कमाई का कोई जरिया भी नही है। इसलिये जवाब देहन्दा को अपने स्वयं के हक हिस्से की जायदाद बैचान हस्तान्तरण करने की जायज जरूरत भी है। जिसमें सायल मुकेश कुमार बदनियतिवश अड़चन पैदा करते हुये विवाद कर रहा है तथा समू देवी पर भी झूठे आरोप लगाये है जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। इसके अलावा जवाब देहन्दा के इस विवादित कृषि भूमि में हक हिस्से एवं अन्य पारिवारीक तथ्यो बाबत जानकारी आगे विशेष विवरण में दी जायेगी। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठा बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल मुकेश की उम्र जब तीन वर्ष की थी उस समय उसकी जन्मत माता दरिया देवी का देहान्त हो गया था। जिस पर सायल मुकेश कुमार का लालन पालन करने एवं घरेलू कार्य करने के लिये जवाब देहन्दा ने सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समू देवी से नाता/द्विविवाह किया था। तत्पश्चात समू देवी ने ही सायल मुकेश कुमार का लालन पालन किया। उसको पढ़ाई करवायी एवं मुकेश कुमार के बड़ा होने पर उनकी शादी गौना मुकलावा इत्यादि करवाया जिसमें जवाब देहन्दा ने लाखो रुपये खर्च किये। उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दौरान सायल की पत्नि के आवश्यक जेवरात भी जवाब देहन्दा ने ही चढ़ाये थे। इसके बावजूद भी सायल ने अपने स्वयं का विवाह करना एवं बलबूते पर खड़े होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यो का समावेश किया है, जबकि वास्तविकता में सायल मुकेश कुमार बड़ा होकर खाने कमाने लगा तब वह जवाब श्यामलालदेहन्दा यानि अपने पिता श्यामलाल से अलग हो गया तथा पिछले लगभग 05 वर्ष से सायल मुकेश कुमार अपने पिता श्यामलाल व समू देवी की कोई देखभाल नहीं कर रहा है, न ही उनके खाने पीने ईलाज इत्यादि की कोई व्यवस्था कर रहा है, जवाब देहन्दा श्यामलाल के दो बड़ी पुत्रीया एवं एक नाबालिग पुत्र है। जिनकी सगाई शादी व अन्य सामाजिक खर्च किये जाने शेष है, साथ ही जवाब देहन्दा स्वयं अक्सर बीमार रहता है। जिसकी कमाई का कोई जरिया भी नही है। इसलिये जवाब देहन्दा को अपने स्वयं के हक हिस्से की जायदाद बैचान हस्तान्तरण करने की जायज जरूरत भी है। जिसमें सायल मुकेश कुमार बदनियतिवश अड़चन पैदा करते हुये विवाद कर रहा है। साथ ही जवाब देहन्दा अपने हक हिस्से की जायदाद को बैचान हस्तान्तरण करता है तो उसमें किसी भी प्रकार से बाधा अड़चन करने का सायल को कोई अधिकार नही है। मौके पर जवाद देहन्दा का ही कब्जा एवं हक अधिकार है तथा इस भूमि के कब्जे व हक अधिकार को लेकर पक्षकारो के बीच कोई विवाद नही है, न ही वाद बाहुल्यता होने का कोई अंदेशा है सायल ने अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित करते हुये समू देवी पर भी झूठे आरोप लगाये है जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। इसके अलावा जवाब देहन्दा के इस विवादित कृषि भूमि में हक हिस्से एवं अन्य पारिवारीक तथ्यो बाबत जानकारी आगे विशेष विवरण में दी जायेगी। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठ बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल मुकेश कुमार ने दिनांक 25.08.2020 को मौके पर विवाद होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यो का समावेश किया है तथा इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि सायल मुकेश कुमार की उम्र जब तीन वर्ष की थी उस समय उसकी जन्मत माता दरिया देवी का देहान्त हो गया था। जिस पर सायल मुकेश कुमार का लालन पालन करने एवं घरेलू कार्य करने के लिये जवाब देहन्दा ने सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समू देवी से नाता/ द्विविवाह किया था। तत्पश्चात समू देवी ने ही सायल पामागुपोश लुगार का लालन पालन किया। इसी प्रकार जयाय येहन्दा की दुसरी पनि समू नेवी को साथ राहणारा रहवास से जवाब देहन्या श्यामलाल को दो बड़ी पुत्रीया एवं एक नाबालिग पुत्र है। जिनकी सगाई शावी व अन्य सामाजिक खर्च किये जाने शेष है, साथ ही जवाब देहन्दा स्वयं अवसर बीमार रहता है। जिसकी कमाई का कोई जरिया भी नही है। इसलिये जवाब देहन्दा को अपने स्वयं के हक हिस्से की जायदाद बैचान हस्तान्तरण करने की जायज जरूरत भी है। जिसमें सायल मुकेश कुमार बदनियतिवश अपचन पैदा करते हुये विवाद कर रहा है, साथ ही जवाब देहन्दा अपने हक हिस्से की जायदाद को बैचान हस्तान्तरण करता है तो उसमें किसी भी प्रकार से बाधा अड़चन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करने का सायल को कोई अधिकार नही है, मौके पर जवाब देहन्दा का ही कब्जा एवं हक अधिकार है तथा इस भूमि के कब्जे चहक अधिकार को लेकर पक्षकारो के बीच कोई विवाद नही है। न ही वाद बाहुल्यता होने का कोई अंदेशा है सायल ने अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित करते हुये समू देवी पर भी झूठे आरोप लगाये है जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से सायल जवाब देहन्दा के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायल का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था। न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ठया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होनें से अस्वीकार है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

<u>(1) प्रथमदृष्ट्या मामला</u> :– प्रार्थनापत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी एवं पिता श्यामलाल के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक पुश्तैनी होनें के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन्म से निहित हक अधिकार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं साश्वत निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। अप्रार्थी श्यामलाल द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के उसका जायन्दा पुत्र होना स्वीकार किया है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी नहीं होनें बाबत् कोई कथन नहीं किया है। उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी श्यामलाल को इनके पिता तैजाराम की मृत्यु उपरांत जरिये खातेदारी नामान्तरण हस्तान्तरित हुई है। अतः वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टयां के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

<u>(2) सुविधा का संतुलन</u> :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होनें तथा इसमें जन्म से अपना अधिकार निहित होनें के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है तथा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अंश तक सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होनें से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(3) **अपूरणीय क्षति :–** चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्थापित हुये है, साथ ही चुंकि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थी जो की वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है द्वारा अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का भविष्य में बैचान हस्तान्तरण एवं अन्य व्ययन किया जा सकता हैं, जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होनें की पूर्ण संभावना है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करना प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति के समान होगा। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में कृषि भूमि के खसरा नम्बर 268 रकबा 256–08 बीघा किस्म बारानी दोयम में से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम वर्तमान भू अभिलेख में दर्ज हिस्से का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested